

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0. 166/20 ता0रजु. 6.1.2020 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 07.02.2020

सरकार

बनाम

लच्छी पुत्र इरवि

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का खेड़ी गडासिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है।

कि ग्राम खेड़ी गडासिया के खसरा नम्बर 2125 रकवा 3.23 हैक्ट.

किस्म भूमि चकगाह पर सम्बत 2076 में श्री लच्छी पुत्र इरवि जाति-जाट

वि. खेड़ी गडासिया तह0 बयाना ने 0.32 हैक्ट अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल बाबजूद सूचना नहीं आया अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 2125

रकवा 0.32 हैक्ट. वाके ग्राम खेड़ी गडासिया से बेदखल

किया जाता है। लगान 5.12 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 256 रूपये से दण्डित किया

जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को

कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी

हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 07.02.2020

को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली का पेश नाममात्र

श. नं. 04 र. 11

दिनांक 12/2/2020 का दर्ज है

पैनल्टी रु. 256 कायमी नीलामी

का जो चुका है।

इहोपि नम्बर लेखाकार

बहल. 0. 0. 0. 0.

(M)

नायब तहसीलदार

बयाना